निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 191/1985 — तारीख दायरा :–01.11.1985

रिमाण्ड होने के उपरान्त

प्रकरण संख्या : 12/1997 — तारीख दायरा :–02.01.1997

उनवान

मृतक रामप्रताप पुत्र नन्दा जाति नायक निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये कायम मुकामान :–

1. गुलाबबाई बेवा पुत्र रामप्रसाद जाति नायक निवासी चरेल।
2. मृतक पूरणमल पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल तहसील सांगोद जरिये कायम मुकामान :–

   2/1. अयोध्याबाई पत्नी पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।

   2/2. जयसिंह पुत्र पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।

   2/3. अजयसिंह पुत्र पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल उम्र 14 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता अयोध्याबाई पत्नी पूरणमल जाति नायक।

   2/4. केलम पुत्री पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।

   2/5. आजाद पुत्री पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।
3. भारतसिंह पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
4. जसवन्त पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
5. महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
6. पदम पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
7. रूकमणी पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
8. सुगना पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
9. जानकी पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी
10. सम्पत पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
11. तस्वीर पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

— वादीगण

बनाम

1. प्रताप पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी चरेल। (डिलीट)
2. भीमराज पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी चरेल।
3. मृतक हरिनारायण पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद जरिये कायम मुकायान :—
   3/1. बृजराज पुत्र हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल।
   3/2. धनराज पुत्र हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल।
   3/3. सुशीला पुत्री हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल।
   3/4. लड्डू बेवा हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद।
4. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद।
5. दुर्गाशंकर पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद।
6. द्वारका पुत्र भीमराज जाति धाकड निवासी चरेल तहसील सांगोद। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री अब्दुल वहीद अंसारी (वकील वादीगण) दिनांक :— 26.12.2022

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रतिवादीगण)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के कब्जे काश्त की ग्राम चरेल में ख.नं. 284 की 11 बिस्वा, ख.नं 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं 201/510 की 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें इस समय भी वादी ने ज्वार की फसल बोई है, जो इस समय खडी हुई है। उक्त खसरा नं0 पर वादी का ही कब्जा काश्त चली आ रही है, लेकिन प्रतिवादीगण उक्त खसरा नं0 की भूमि को कब्जे में लेने तथा काश्त करने पर उतारू रहते हैं और प्रयत्न किया करते हैं। दिनांक 14.10.85 को सुबह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

समस्त प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर एक राय होकर मदालखत मजाहमत करने के उद्देश्य से आये तथा प्रतिवादीगण ने वादी की ही फसल ज्वार को नष्ट करने पर उतारू हो गये। वादी ने प्रतिवादीगण को बडी मुश्किल से रोका है तथा प्रतिवादीगण ने अपनी तरफ से एक रखवाला भी ज्वार की देखरेख हेतु रख दिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ज्वार की फसल को काटने पर उतारू है।

वादी के कब्जे की काश्त को भूमि पर ज्वार की फसल को प्रतिवादीगण द्वारा काट ली गई तो वादी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेंगी तथा मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में खडी ज्वार की फसल को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाये इसलिए वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वादी सक्षम न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिवादीगण लट्ठ के जोर पर फसल को काटने पर उतारू है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि –

वादी के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा व ख.न. 201/510 की 14 बिस्वा की भूमि में प्रतिवादीगण न तो स्वयं मदाखलत मजाहमत करे और न ही अपने किसी ऐजेन्ट से ऐसा करावे। प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्वक काश्त की ज्वार को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचावे और प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में यह भी डिक्री फरमाई जावे कि अगर इस दौरान दावा ज्वार की फसल को किसी प्रकार के प्रतिवादीगण द्वारा नष्ट कर दिया जावे तो उसका समस्त मुआवजा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी दावा दायरी के दिनांक को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक नहीं है। वादग्रस्त खसरा नं. 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि 3575 रूपये में प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड [illegible] 09.07.1963 को बेच दी थी तथा उसी दिन कब्ज खरीददारा[illegible] आज तक खरीदारान बैहैसियत खातेदार टीनेन्ट कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा गत वर्ष भी ज्वार की फसल पैदा की है एवं काटी है तथा प्रतिवादीगण लगातार कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

काश्त में है। वादी के पिता नन्दा आत्मज खेमा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आराजी वादग्रस्त खसरा नं. 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादीगण को बेय कर दिनांक 09.07.1963 कब्जा प्रतिवादीगण को संभला दिया था। वादी का पिता खातेदार टीनेन्ट था जिसकों वादग्रस्त आराजी को स्थानान्तरण करने का अधिकार था। वाद दावा दायरी के दिनांक को यानि 25.10.1985 को वादी राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 285 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा माल ग्राम चरेल का खातेदार कृषक नहीं था न ही उक्त दिनांक को वादी का कब्जा था। इसलिए प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा का चलने योग्य नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी के बाबत न्यायालय रामगंजमंडी के न्यायालय मे धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही चल चुकी है। जिसका मि.नं. 191/76 दिनांक 14.08.1978 को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय हो चुका है अर्थात 175 की कार्यवाही खारिज हो चुकी है। उक्त बेचान के बाबत वादी को पूर्व से ही जानकारी है एवं दिनांक 05.09.1985 को जर्ये इन्तकाल नं. 57 से प्रतिवादीगण को माल ग्राम चरेल की खसरा नं. 285 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार कृषक व कब्जे काश्त में है। इसलिए दावा मेन्टेनबल नही है दावा खारिज होने योग्य है। इसके उपरान्त वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.07.1987 की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार माननीय न्यायाल द्वारा बेचान धारा 42 आर0टी0एक्ट की अवहेलना से किया गया होने के कारण कानूनन रूप से पूर्णतया सही नहीं माना गया, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ही पक्ष अपना कब्जा विवादित आराजी पर साबित करने में असफल होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांगोद को विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके उपरान्त वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के अनुसार प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. तनकी सं.1 :– आया विवादित ख.न. 285 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। – वादी
2. तनकी सं. 2 :– आया विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीद कर प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर सन 1963 से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। – प्रतिवादीगण
3. तनकी सं.3 :– आया वादी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

प्रकरण में तनकीयात कायम करने के उपरान्त प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण में कायम तनकीयात अनुसार लिखित बहस मय नजीरें न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तनकीवाद लिखित बहस के तथ्य निम्न प्रकार हैं –

तनकी नं. 1 – आया विवादित खसरा नं. 285 रकबा 11 बीद्या 17 बिस्वा वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। – वादी

उक्त तनकीयात को सिद्ध करने का भार वादी पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादी के पिता नन्दा आत्मज खैमा जाति नायक द्वारा प्रतिवादीगण को सन् 1963 में वादग्रस्त आराजी विक्रय कर कब्जा संभला दिया था जिसकी रजिस्ट्री उसके द्वारा 09.07.1973 को प्रतिवादीगण के पक्ष में करा दी थी। तब से प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बहैसियत खातेदार कृषक काश्त कर रहे है इस बात की दस्तावेजी पुष्टि तहसीलदार सांगोद द्वारा वादग्रस्त आराजी के बाबत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही की थी जो परगना अधिकारी रामगंजमंडी के न्यायालय उक्त प्रकरण 191/1976 का निर्णय परगना अधिकारी रामगंजमंडी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.08.1978 बाईजलास श्री.सी.बी शर्मा आर.ए. एस द्वारा कर निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित किया था एवं 175 रा.का. अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया था, उक्त निर्णय की आज तक कोई अपील या रेफरेन्स नहीं हुआ ऐसी सूरत में उक्त निर्णय के अनुक्रम में माना जावेगा कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी से पूर्व से ही एवं उक्त निर्णय के अनुक्रम में वादी का वाद पेश करने के दिनांक पर खातेदारी व कब्जा काश्त नहीं है उक्त तथ्य को स्वयं वादी द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मु.नं. 191/1976 एस.डी.ओ रामगंजमंडी में न्यायालय में चला है एवं फैसला प्रतिवादीगण के पक्ष में 14.08.1978 कर दिया था एवं उक्त कार्यवाही के बाद तहसीलदार साहब सांगोद द्वारा भी उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण नं. 57 दिनांक 05.09.1985 से माल ग्राम चरेल की वादग्रस्त 11 बीद्या 17 [illegible] के प्रतिवादीगण खातेदार कृषक व कब्जे काश्त कृषक है। यह स्वीकार [illegible] था उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक प्रमाणित नहीं होता है एवं इसी प्रकार राजस्व अपील अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी रामगंजमंडी केम्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

सांगोद द्वारा वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं माना एवं वादी का धारा 212 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। उसकी अपील संख्या 106/86 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के न्यायालय में वादी प्रार्थी द्वारा अपील पेश की थी उसे खारिज कर दिया गया था एवं रेस्पोडेंट की इल्तजा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 18.07.1987 तहसीलदार सांगोद को रिसीवर नियुक्त किया था तब से जर्ये रिसीवरी की आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जे काश्त मे है। उक्त प्रकरण से वाद दायरी पर वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त नहीं होना स्वीकृत तथ्य है। वादी द्वारा स्वयं की गवाह **pw1** एवं उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहन **PW2** बृजगोपाल आत्मज भैरूलाल स्वयं कहता है कि इस समय वादग्रस्त आराजी किसके कब्जे काश्त में है मेरी जानकारी में नहीं है एवं जिरह में स्वयं कहता है कि मै ग्राम चरेल का नहीं हूं। मै ग्राम उदपुरिया का निवासी हूं। जन्म से ग्राम उदपुरिया में ही रहता हूं। मैं ग्राम चरेल की जमीन के खसरा नं. नहीं जानता हूं। मै नहीं बता सकता कि नन्दा के खातेदारी मे कितनी जमीन थी। यदि रामप्रताप के पिता नन्दा ने प्रतिवादीगण को जमीन बेची हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि मैं 12-13 वर्ष से आता जाता नहीं हूं। इसलिए नही बता सकता की 11, 12 बीघा जमीन किसके कब्जे में है। इसी तरह **PW3** रतनलाल गुर्जर भी कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं करता है। अर्थात वादी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का अपने आप को खातेदार एवं वाद दायरी के दिनांक को काबिज काश्त सिद्ध करने में असफल हूये इसलिए कानून माननीय न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है यह अभिमत न्यायालयों द्वारा आर0आर0डी 1997 पेज 153 पर प्रकट किया है कि इस धारा के अन्तर्गत आसामी ही वाद ला सकता है। एवं **RRT 2021 (PART 1) Page 260 (2021) Possession of plaintiff is necessary for granting perment injution – RRT 2021Part 1 Page 260** साथ ही मे यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (a) 4 एवं 63 (4) के तहत एक आसामी का उसके भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग जो भी हो हित मे समाप्त हो जावेगा जबकि वह आधिपत्य से वंचित कर दिया गया हो या आधिपत्य पुनः लेने का उसका अधिकार अवधी बाधित हो गया हो। इस संबंध में मेरा विनम्र मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में बेदखली हेतु मियाद 12 वर्ष है। इस प्रकरण में खातेदार वादी के पिता द्वारा 09.06.1973 को रजिस्टर्ड बैनामें से भूमि का बेचान किया गया है एवं वादी द्वारा वाद 25.10.1985 को पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

है। रजिस्टर्ड बेचान नामें में भूमि का कब्जा देना अंकित किया है। इसलिए कानून कहता है कि कब्जा की मियाद रजिस्ट्री की दिनांक से मानी जावेगी यह अभिमत स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम चन्दा RRT (1) 2002 Page 408 प्रकट किया गया है। उक्त अनुसार भी वादी दावा दायरी के दिनांक को खातेदार काबिज काश्त नहीं माना जा सकता है। उक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर वादी को उक्त धारा के अधीन वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अभिमत RRD 1986 Page 6 पर प्रकट किया है।

तनकी नं. 2 – आया विवादित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीद कर प्रतिवादीगण इस आराजी पर सन् 1963 से उपयोग उपभोग कर रहे है। – प्रतिवादीगण

इस संबंध में प्रतिवादीगण का विनम्र निवेदन है कि उक्त तथ्य धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही जो प्रतिवादीगण का विरूद्ध रामगंजमंडी द्वारा अभिनिर्णय में दिनांक 14.08.1978 को माना है कि प्रतिवादीगण का इस आराजी पर सन् 1963 से कब्जा काश्त है एवं इस आधार पर तहसीलदार सांगोद द्वारा पेश की गई धारा 175 की कार्यवाही वाद को खारिज कर सन् 1963 से कब्जा एवं उपयोग उपभोग माना है उक्त धारा 175 की कार्यवाही की अब तक कोई अपील नहीं हुई न ही किसी अपील न्यायालय ने उपखंड अधिकारी रामगंजमंडी के न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है ऐसी सूरत में विवादग्रस्त आराजी पर कानूनन सन 1963 से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त कानूनन माना जावेगा इसलिए यह तनकी भी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में एवं विरूद्ध वादी सिद्ध मानी जानी चाहिए।

तनकी नं0 3 – आया वाद अवधी मध्य है। – वादी

इस तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने का भार भी वादी पर ही है। वादी के पिता नन्दा आत्मज खेमा जाति नायक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से दिनांक 09.06.1973 से रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] आराजी स्थानांन्तरण कर दिया था एवं उक्त दिनांक उक्त द[illegible] प्रतिवादीगण को संभला दिया था तो प्रतिवादीगण का [illegible] पत्र के दिनांक से कानूनन माना जावेगा यह अभिमत RRT (1) 2002 Page 408 प[illegible] माना है एवं वादी द्वारा वाद 25.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

1985 को पेश किया है जो कानूनन वाद करण उत्पन्न होने के 12 वर्ष बाद वाद पत्र पेश किया है जो कानून वाद अवधि बाधित है। इसलिए भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची मे बेदखली हेतु वाद पेश करने की अवधि 12 वर्ष है। वाद अवधि बाधित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो 2008 (1)RLW (RJ) में प्रकाशित किया हुआ है। इसमें निम्न सिद्धांत प्रकाशित किया गया है कि 12 वर्ष की अवधि में बेदखली हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है।

उपरोक्त परिस्थितियों मे वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में दावा वादी खारिज करने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य निम्न प्रकार है –

तनकी सं. 1 :– कायमी तमकीयात के बाद वादी द्वारा अपने समर्थन में PW1 प्रताप वल्द नन्दलाल PW2 रतनलाल वल्द गेन्दीलाल व PW3 बृजगोपाल पेश किये है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में द्वारका लाल DW1 राम किशन DW2 व बिरधीलाल DW3 पेश किये है। PW1 प्रताप वल्द नन्दा ने वाद पत्र का समर्थन करते हुये जमा बन्दी सम्वत् 2041–2044 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025 से 2028 पेश की है तथा प्रदर्श करवाई है तथा गवाहान PW2 व PW3 ने भूमिधारी होना तथा काश्त करना अपने बयानों में बताया है। साक्ष्य प्रतिवादी में द्वारका लाल DW1 ने अपने शपथ पत्र में अपने जवाब दावे का समर्थन करते हुये जिरह में उसके द्वारा कहा कि सन् 63 में जमीन खरीदी हो तो मुझे पता नहीं है। सांगोद व रामगजमंडी में मुकदमा रामप्रताप ने चलाया था। रामप्रताप ने यह कहकर मुकदमा चलाया था कि मैंने कोई जमीन नहीं बेची। मुकदमा चलाए 24–25 [illegible] जमीन ली थी जिसका चलाया था जिसका फैसला D2 मैने [illegible] पता नहीं है दाजी रामप्रताप जी को पता होगा। [illegible] नहीं मुझे पता नहीं है। सन 63 में यह जमीन हमने किसी से ली हो तो पता नहीं। यह बात सही है कि हम रामगंजमण्डी तारीख में नहीं गए। रामप्रताप जी जाते थे उन्ही के उपर मुकदमा चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

होगा। राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ वह 75 में हुआ। सन् 73 में यह जमीन हमने खरीदी थी या नहीं खरीदी ध्यान नहीं है। मै बालक था 12–13 साल का था सन् 63 में मैंने कोई काश्त नहीं की यह जमीन राम प्रताप के बाप नन्दा की होगी मुझे पता नहीं है। रामप्रताप का बाप नन्दा s.c. में आता था इस बात को मैं जानता था। इस पत्रावली में इंतकाल की नकल मैंने पेश नहीं की है। रामगंजमंडी केस चला इसका मुझे पता नहीं है। कार्यवाही जो चली इस बात की थी कि जमीन हमारी ही थी और कोई मुझे पता नहीं है। **DW2** रामकिशन ने अपने शपथ पत्र में विवादित आराजी को रामप्रताप जी काश्त करते थे अभी भी द्वारकीलाल के भाई काश्त करते थे। चरेल में रामप्रताप धाकड के यहां मेरा ससुराल है। इस गवाह ने जिरह में बताया कि मैं दानो पक्षों को जानता हूं। पता नहीं जमीन 250, 300 बीघा है। इस जमीन का मुझे पता नहीं है। जमीन जब खरीदी सन् 85 में द्वारकीलाल काश्त करता था 38, 46 लास साल से द्वारकीलाल काश्त करता था मैं वहां नहीं रहता हूं। द्वारकीलाल वगैरह का जीजा लगता हूं मेरी शादी 67 में हुई थी। यह जमीन मेरी शादी में नन्दा जी से खरीदी थी उनके बीच मुकदमा चला हो तो मुझे पता नहीं **DW3** बिरधीलाल अपने शपथ पत्र में जमीन बेचना व प्रतिवादीगण का कब्जा होना कहता है परन्तु जिरह में कहां जमीन खरीदी या नहीं पता नहीं है। 2 साल से पूर्व यह जमीन मैनें नहीं हांकी थी। मुझे पता नहीं नन्दा को जमीन हांकते हुये देखा। सन् 85 में इस जमीन को किसने हांका मुझे पता नहीं है।

वादी ने अपने दस्तावेज जामबन्दी व गिरदावरी से तथा मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित कर दिया है कि वादी सन् 85 में खातेदार कृषक था व उसका कब्जा विवादित आराजी पर था जमाबन्दी **EX1** गिरदावरी **EX2** है। इस से प्रमाणित है कि वादी वक्त दावा दायरी खातेदार टीनेन्ट का तथा गिरदावरी **EX2** से साबिज. है कि वह कब्जे काश्त में था। वादी ने अपनी तनकी नं0 1 सफलता पूर्वक साबित कर दी है।

तनकी नं. 2 – आया विवादित [illegible] से खरीद कर प्रतिवादीगण इस आराजी पर [illegible] 19[illegible] से उपयोग उपभोग कर रहे है। – प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में भूमि को 09.07.1963 को 3575/— रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त करना कहता है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.07.1963 को कोई रजिस्ट्री पेश नहीं की है और न ही उक्त दिनांक को वादी द्वारा कोई आराजी बैचान की गई है। जब भूमि बेचान 09.07.1963 को की ही नहीं गई तो कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में दिनांक 09.07.1963 की कोई बेनामा पेश नहीं किया गया है क्योंकि इस तरह का बेचान उक्त दिनांक को हुआ ही नहीं है। रिकार्ड रूम से भी उक्त दिनांक की बेनामा की नकल लेने का प्रयास किया लेकिन रिकार्ड रूम द्वारा भी इस दिनांक को कोई बेनामा नहीं हुआ है जो रिकार्ड पर है। पहले तो वादी ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे में अंकित दिनांक को कोई बेचान नहीं किया और न कोई रजिस्ट्री करवाई गई फिर भी यह माना जावे कि वादी से प्रतिवादीगण ने मुतनाजा आराजी खरीद की है तो वादी s.c. का व्यक्ति होने से तथा प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान प्रारम्भ से ही शून्य है। जिससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी अधिवक्ता द्वारा इस तनकी के समर्थन में निम्न नजीरे प्रस्तुत की गई —

R.T. Act See. 42
RRD 2005 page 329 -332 and page 71-81
RRD 1998 Page. 396 - 400 (C) H.C.
RRD 1990 page 9-12
RRD 1993 page 147-149
RRD 2003 page 389-394
RRD 2006 page 1365 -1368

तनकी नं0 3 — आया वाद अवधी मध्य है। — वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। जहां तक वाद का अवधि मध्य दावा प्रस्तुत करने का प्रश्न है दावा वैसे तो **188 RTA** में पेश किया गया है लेकिन जहां तक **S.C.** की भूमि [illegible] पूर्व में 5 वर्ष व बाद से 12 वर्ष तथा अब 30 वर्ष की अवधि [illegible] तबके को देखते हुये समय समय पर बढाई गई है। [illegible] दावा वादी अवधि मध्य है। **'R'** ने **'P'** से भूमि कय की जो अनुसुचित जाति का व्य[illegible] था—भूमि बेचान की धारा 42(बी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

के अन्तर्गत वर्जित था और विक्रय पत्र प्रारम्भ से शून्य था विक्रय लोक नीति के विरूद्ध था प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

RRT. 2015 page 665 -669
RRT 2013 page 924
RRT 2013 (2) 936

अतः उक्त वाद 188 RTA के तहत वादी ने प्रस्तुत किया था जिस पर आज भी मुतनाजा भूमि का खातेदार वादी के वारिसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मुतनाजा भूमि रिसीवर तहसीलदार के कब्जे में है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रिसीवरी से मुतनाजा भूमि को मुक्त किया जावे तथा रिसीवरी की रकम भी वादी को दिलवायी जाने की डिक्री प्रदान करें।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, जवाव प्रतिवादीगण, प्रकरण में कायम तनकीयात, उपखण्ड न्यायाल रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 14.08.1978 के आदेश, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.07.1987 तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस आदि का अवलोकन किया गया। पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात को निम्न प्रकार से निर्णित की जाती है –

तनकी नं. 1 – आया विवादित खसरा नं. 285 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। – वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादी द्वारा अपने समर्थन में PW1 प्रताप वल्द नन्दलाल PW2 रतनलाल वल्द गेन्दीलाल व PW3 बृजगोपाल पेश किये है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में द्वारका लाल DW1 राम किशन DW2 व बिरधीलाल DW3 पेश किये है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में जमाबंदी सवंत 2041–2044 एवं खसरा गिरदावरी सवंत 20[illegible] पेश की तथा प्रतिवादीगण द्वारा 175 रा.का.अधिनियम की कार्यवाही का [illegible] गया। प्रतिवादीगण द्वारा तनकी के समर्थन में RRD 1977 page 155, RRT 2021 (part 1) Page 260

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

(2021), RRT (1) 2002 page 408 तथा RRT 1986 page 6 नजीरें प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार मात्र खातेदार कृषक ही वाद ला सकता है।

गवाहो का बयानात, अन्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी के धारा 175 आर0टी0एक्ट0 की मिसल नं0 191/76 में दिनांक 14.08. 1970 के निर्णय तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के अपील संख्या 106/86 के निर्णय दिनांक 18.07.1987 का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण का कथन है कि 175 आर0टी0एक्ट0 की कार्यवाही में प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय हुआ है, जो कि गलत तथ्य है। वस्तुतः माननीय उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.1978 में तथाकथित विकय को **Ab Initio Void** मानते हुए हस्तांतरण नहीं माना एवं 175 की कार्यवाही जो तहसीलदार द्वारा वर्तमान प्रकरण में वादीगण और प्रतिवादीगण के पूर्वजो के विरूद्ध भूमि को सिवायचक करने हेतु पेश की गई, को हस्तान्तरण नहीं मानते हुए निरस्त किया गया है। अर्थात् जो निर्णय प्रतिवादीगण अपने पक्ष में बता रहे, वो उसके विपरीत रहा। तथा न ही प्रतिवादीगण ने इस फैसले की तथा न ही राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इसकी अपील कहीं की गई, अर्थात वह निर्णय अंतिम हो गया। चूंकि उस निर्णय में प्रतिवादीगण को बेचान माना ही नहीं गया तो भूमि वादीगण की ही बनी रही तथा न ही कभी प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने पक्ष में करवाई गई। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी भूमि वादीगण के खाते में ही दर्ज है। साथ ही माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 18.07.1987 में संपत्ति पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं माना तथा विवादित भूमि **in Medio** मानते हुए तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया था।

प्रतिवादीगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भूमि कय करना बताकर अपना कब्जा होना बताया है परंतु राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय में भी प्रतिवादीगण ने कब्जे को नहीं माना गया था। साथ ही इस संबंध में विधिक प्रतिनिधि ऑफ हजूर सिंह और अन्य बनाम विधिक प्रतितिधि ऑफ महेन्द्र कौर व अन्य **RRD 1997 PAGE 310** की नजीर [illegible] स्पष्ट अंकित है कि *"राज्य सरकार द्वारा धारा 175 के अं[illegible] के विरुद्ध भूमि वापस वादी को दिलवाने हेतु किया, जो [illegible] उसके खारिज होने का यह*

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

तात्पर्य नहीं है कि भूमि पर केता का ही कब्जा रहेगा। प्रतिवादी अतिक्रमी है, जो भूमि पर अपना कब्जा नहीं रख सकता।"

साथ ही RRD 1980 PAGE 252 की नजीर में भी यह स्पष्ट अंकित है कि *"किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की भूमि का सवर्ण हित में अंतरण कर दिया और कब्जा भी दे दिया है तो राजस्व न्यायालय ऐसे अंतरण को मान्यता नहीं देगी, कृषि भूमि एवं कब्जा मूल खातेदार का नहीं माना जायेगा।"* इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे RRT 2022 PAGE 408 , RRD 1986 PAGE 6, RRD 1997 पेज 153, RRT 2021 (PART 1) PAGE 260 प्रश्नगत प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। प्रश्नगत प्रकरण में खातेदार/आसामी के हित अधिकार कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा समाप्त नहीं किये गये है।

वादीगण द्वारा अपने समर्थन में कराये गये गवाहों, प्रतिवादीगण से जिरह तथा जमाबंदी संवत् 2041–44, खसरा गिरदावरी संवत् 2025–2028 से यह साबित है कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार रहे हैं तथा विभिन्न न्यायिक दृष्टांत भी यही अभिमत प्रकट करते हैं कि विवादित आराजी पर कब्जा प्रतिवादीगण का नहीं मानते हुए वादीगण का ही माना जावेगा।

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, अतः प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर कब्जा साबित करने में असफल रहे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें हस्तगत प्रकरण पर सटीक रूप से लागू होती है, वादीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में सफल रहे। अतः तनकी सं 1 वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया विवादित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय से खरीद कर प्रतिवादीगण इस आराजी पर सन् 1963 से उपयोग उपभोग कर रहे है। – प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में न्यायालय [illegible] धारा 175 RTA की मिसल नं0 191/76 के निर्णय दिनांक 14/8/1970 त[illegible] माननीय राजस्व अपील अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

कोटा के निर्णय दिनांक 18.7.1987 के निर्णय पेश किये तथा अपने जवाब में वादग्रस्त खसरा नं0 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि 3575 रूपये में वादीगण द्वारा जरिये रजिटर्ड विकय पत्र दिनांक 9.7.1963 को विक्रय किया जाना अंकित किया गया है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा रजिटर्ड विकय पत्र दिनांक 9.7.1963 की कोई प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की है।

प्रतिवादीगण द्वारा फर्द के साथ 9.6.1973 की रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश की है, जो कि प्रमाणित नहीं होकर फोटोप्रति है। प्रतिवादीगण द्वारा तनकी नं0 2 के पक्ष में कोई न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं किया जाकर केवल तथाकथित विक्रय पत्र 9.7.1963 के आधार पर विवादित आराजी पर अपना हक बता रहे हैं। जबकि वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रतिवादीगण ने उक्त दिनांक की कोई रजिस्ट्री प्रस्तुत नहीं की है और न ही उक्त दिनांक को वादी द्वारा कोई आराजी बेचान की गई है। वादीगण ने उक्त वर्णित दिनांक की रजिस्ट्री की प्रति लेने के लिए रिकार्ड रूम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर रिकॉर्ड रूम प्रभारी द्वारा उक्त दिनांक को कोई रजिस्ट्री नहीं होना वादीगण द्वारा उल्लेखित किया गया, का रेकार्ड प्रस्तुत किया है, जो रिकोर्ड पर है। प्रथमतः 1963 में कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं हुआ तथा यदि बेचान किसी अन्य समय हुआ तो भी वादी अनुसूचित जाति का होने से प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति होने से बेचान प्रारंभ से ही शून्य माना जायेगा। इस संबंध में वादीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत नजीरें **RTA SEC-42 RRD 2005 PAGE 329-332 PAGE 71-81 RRD 1998 PAGE 391-400 (C) H-C, RRD 1990 PAGE 9-12 RRD 1993 PAGE 147-149 RRD 2003 PAGE 389-394 RRD 2006 PAGE 1365-1368** स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध चस्पा होती है।

इस सबंध में **RRD 1988 PAGE 428** की नजीर में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा उसके भिन्न जाति के सदस्य को किया गया हस्तांतरण वैध नहीं है, न ही ऐसे हस्तांतरण को धारा 42(बी) के उल्लंघन के कारण इजाजत दी जा सकती है। **RRD 1979 PAGE 207** व **RRD 1980 PAGE 335** के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों [illegible] का सवर्णो के हितों में किया गया संव्यवहार शून्य है। कॉन्ट्रेक्ट [illegible] अनुसार ऐसा अनुबंध न्याय में वर्णित है, ऐसा विक्रय धारा 42 के विपरीत और गैर–कानूनी एवं प्रभाव शून्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार सांगोद की धारा 175 के तहत की गई कार्यवाही को उपखंड अधिकारी न्यायालय रामगंजमंडी द्वारा कार्यवाही 14.8.1978 को खारिज करने के आधार पर तथा उसकी अपील किसी न्यायालय में न होने के आधार पर अपना कब्जा कानूनन बताया है, परंतु माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में तथाकथित हस्तांतरण **Ab Initio Void** मानते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष में हस्तांतरण होना माना ही नहीं तथा उस हस्तांतरण को नहीं मानकर मूल खातेदार की जो तथाकथित विक्रेता है, के खातेदारी अधिकार समाप्त करने की प्रार्थना खारिज कर दी थी। इस 175 के प्रार्थना पत्र को खारिज करने एवं उसकी अपील वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादीगण के द्वारा कहीं नहीं किये जाने के कारण वह निर्णय अंतिम हो गया तथा तथाकथित हस्तान्तरण न करने का तथ्य भी अंतिम हो गया। अर्थात् वर्तमान प्रतिवादीगण को उस हस्तांतरण को प्रारम्भतः शून्य मानने से तथा उस तथाकथित विक्रय को निरस्त कराने की आवश्यकता विक्रेता को नहीं होने से विवादित आराजी प्रतिवादीगण को हस्तांतरित नहीं मानी जा सकती तथा न ही उनका कब्जा माना जा सकता है। साथ ही माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने भी कब्जा प्रतिवादीगण का भी नहीं माना था तथा न ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश की अपील की गई अर्थात् वह आदेश भी अंतिम आदेश हो गया। विवादित आराजी का प्रतिवादीगण न तो क्रेता साबित होता है, न ही तथाकथित विक्रय से कोई अधिकार प्रमाणित होते है, तो उस भूमि पर कब्जा भी नहीं माना जा सकता।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, नजीरों एवं उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि का सवर्ण वर्ण व्यक्ति को किया गया तथाकथित बेचान गैरकानूनी एवं प्रारम्भतः शून्य है, इस प्रकरण में दिनांक 9.7.1963 को रजिस्टर्ड किए गए किसी भी दस्तावेज को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी तथाकथित [illegible] 9.7.1963 को क्रय कर 1963 से ही उपयोग उपभोग करना सिद्ध नहीं होता क्योंकि उक्त दिनांक को प्रथम तो विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होना रिकॉर्ड पर नहीं है और यदि ऐसा दस्तावेज होता तो भी धारा 42(बी) के उल्लंघन में प्रतिवादीगण को [illegible] हस्तांतरण नहीं माना जा सकने के कारण उसका कब्जा नहीं माना जा सकता अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

तनकी नं0 3 – आया वाद अवधी मध्य है। – वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। इस तनकी के संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा **2008 (1) RLW (RJ)** नजीर प्रस्तुत की जाकर व्यक्त किया कि 12 वर्ष की अवधि में बेदखली हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है तथा वादी द्वारा वाद 25.10.1985 को पेश किया है जो कि वाद करण उत्पन्न होने के 12 वर्ष बाद वाद पत्र पेश किया है जो कानूनन वाद अवधि बाधित है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा तनकी के समर्थन में **RRT 2015(1) page 665-669 and RRT 2013(2) page 936** नजीरें प्रस्तुत की जाकर व्यक्त किया गया कि दावा 188 RTA में पेश किया गया है तथा S.C. की भूमि को बेचान एवं 188 RTA रा.का.अधि. के संबंध में समय सीमा पूर्व में 5 वर्ष व बाद से 12 वर्ष तथा अब 30 वर्ष की अवधि है जो समय समय पर कमजोर तबके को देखते हुये समय–समय पर बढाई गई है। इस समय सीमा में दावा वादी अवधि मध्य है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, इस संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं नजीरों को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट है कि प्रथम तो वादी के अनुसार वादकारण 1985 में ही उत्पन्न हुआ। द्वितीय यह वाद बेदखली का नहीं होकर RTA की धारा 188 के तहत दायर किया गया है। प्रार्थी वादी खातेदार है तथा उसमें खातेदारी अधिकार किसी सक्षम न्यायालय से समाप्त नहीं किये गये है, इसके विपरीत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तहसीलदार सांगोद द्वारा RTA की धारा 175 के तहत की गई कार्यवाही माननीय उपखंड अधिकारी रामगंजमंडी द्वारा 1978 में खारिज कर भूमि को हस्तांतरण होना नहीं मानते हुए सिवायचक घोषित करने की इस्तदुआ खारिज कर दी थी, अर्थात् प्रश्नगत वर्तमान प्रकरण के वादीगण की खातेदारी तब भी बनी रही।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जब वादी द्वारा 1985 में ही वादकरण उत्पन्न होना बताया एवं RTA 188 [illegible] प्रकरण दर्ज करा दिया था, तो अवधि बाधित होना नहीं माना [illegible] स्पष्ट है कि RTA की धारा 188 के तहत प्रस्तुत वा[illegible] तथा यह तनकी नं0 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

प्रकरण में मेरे द्वारा संपूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, गवाहों के बयानात, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य आदि का गहनता से अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में कायम की गई समस्त तनकीयात को निर्णित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपना पक्ष साबित करने में असमर्थ रहे तथा समस्त तनकीयात वादीगण के पक्ष में निर्णित होने के कारण वाद वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम चरेल की खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा व ख.न. 201/510 की 14 बिस्वा की भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सांगोद को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी को रिसीवरी मुक्त किया जाकर रिसीवरी की संपूर्ण राशि वादीगण को दी जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 191/1985 तारीख दायरा :–01.11.1985

रिमाण्ड होने के उपरान्त

प्रकरण संख्या : 12/1997 तारीख दायरा :–02.01.1997

उनवान

मृतक रामप्रताप पुत्र नन्दा जाति नायक निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये कायम मुकामान :–

1. गुलाबबाई बेवा पुत्र रामप्रसाद जाति नायक निवासी चरेल।
2. मृतक पूरणमल पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल तहसील सांगोद जरिये कायम मुकामान :–

   2/1. अयोध्याबाई पत्नी पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।

   2/2. जयसिंह पुत्र पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।

   2/3. अजयसिंह पुत्र पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल उम्र 14 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता अयोध्याबाई पत्नी पूरणमल जाति नायक।

   2/4. केलम पुत्री पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।

   2/5. आजाद पुत्री पूरणमल जाति नायक निवासी चरेल।
3. भारतसिंह पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
4. जसवन्त पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
5. महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
6. पदम पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
7. रूकमणी पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
8. सुगना पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
9. जानकी पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
10. सम्पत पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल।
11. तस्वीर पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

— वादीगण

बनाम

1. प्रताप पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी चरेल। (डिलीट)
2. भीमराज पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी चरेल।
3. मृतक हरिनारायण पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद जरिये कायम मुकायान :—

   3/1. बृजराज पुत्र हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल।

   3/2. धनराज पुत्र हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल।

   3/3. सुशीला पुत्री हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल।

   3/4. लड्डू बेवा हरिनारायण जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद।

4. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद।
5. दुर्गाशंकर पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी चरेल तह0 सांगोद।
6. द्वारका पुत्र भीमराज जाति धाकड निवासी चरेल तहसील सांगोद। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री अब्दुल वहीद अंसारी (वकील वादीगण) दिनांक :— 26.12.2022

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री अब्दुल वहीद अंसारी प्रतिवादीगण मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम चरेल की खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा व ख.न. 201/510 की 14 बिस्वा की भूमि का [illegible] की खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार [illegible] जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी को रिसीवरी मुक्त [illegible] की संपूर्ण राशि वादीगण को दी जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने [illegible] स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग ... X ...बाबत ... X ...खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.12.2022 माह नवंबर 2022 को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

मुदई		रूपया	पै	मुदायलाह		रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा	....	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	....	---NIL---	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक				मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:18:00 IST
Reason: SelfAttested